संख्या-388/2016/5235जेएल/22-3-16-200(3)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2016***

विषय- आदर्श कारागार (नारी बंदी निकेतन), लखनऊ की महिला बंदी सियावती पत्नी श्री रामसेवक को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-324/2016/4602जेएल/22-3-16-200(3)/2016, दिनांक 29-08-2016 के अनुक्रम में आदर्श कारागार (नारी बंदी निकेतन), लखनऊ की महिला बंदी सियावती पत्नी श्री रामसेवक, निवासी जनपद-इटावा, महिला बंदी संख्या-1763 को पूर्व स्वीकृत गृह अवकाश के क्रम में एतदद्वारा 15 दिन की वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-388/2016/5235जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in